

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी उत्तर वन मंडल सागर म.प्र.

E-mail :- dfonsagar@mpforest.org: dfotsagar@mp.gov.in: Phone & Fax No. :- 07582-236337

क्रमांक/मा.चि./19/ 97
प्रति,

सागर, दिनांक - 8-1-19

Reliance Jio Infocomm Limited
3rd Floor, Block No.1,
DB City, M.P. Nagar Bhopal (M.P.)

विषय :- वन मंडल उत्तर सागर के अंतर्गत वन परिक्षेत्र बांदरी/उत्तर सागर में बहरोल से बण्डा मार्ग में वनक्षेत्र की सीमा में से गुजरने वाले मार्ग पर (सड़क के किनारे-किनारे) ओ.एफ.सी. लाईन डालने बावत्। (FP/MP/OFC/35533/2018)

संदर्भ :- आपका प्रस्ताव दिनांक 06.10.2018.

— 0 —

प्रस्ताव में बहरोल से बण्डा मार्ग के अंतर्गत वनक्षेत्र में गुजर रहे मार्ग के राईट ऑफ वे सड़क के किनारे-किनारे ओ.एफ.सी. लाईन डालने बावत् प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/OFC/35533/2018 ऑन लाईन दर्ज किया गया है, वनभूमि में से गुजर रहे मार्ग का दिनांक 19.12.2018 को संयुक्त मौका स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 207 पी.एफ. 194 वन परिक्षेत्र बांदरी एवं आर.एफ. 258 पी.एफ. 277 वन परिक्षेत्र उत्तर सागर की वनभूमि में से गुजर रहे बहरोल से बण्डा मार्ग की सीमा अंतर्गत कुल लंबाई 2550 मीटर में चौड़ाई 0.50 मीटर की नाली खोदकर ओ.एफ.सी. केबिल डाली जावेगी। अतः प्रस्ताव के अनुमोदन उपरांत एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल से जारी पत्र क्रमांक/एफ-5/2018/निर्देश/10-11/48 दिनांक 06.01.2018 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत प्रस्तावित 01 हे. से कम 0.123 हे. वनभूमि के प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी करने बावत् मुख्य वन संरक्षक सागर वन वृत्त सागर के पत्र क्रमांक/मा.चि./61 दिनांक 04.01.2019 से निर्देश प्राप्त हुए हैं, निर्देशानुसार निम्न लिखित अधिरोपित शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक सशर्त स्वीकृति जारी की जाती है :-

- 1) वनभूमि का वैधानिक स्वरूप वन ही रहेगा।
- 2) वन भूमि के वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 207 पी.एफ. 194 वन परिक्षेत्र बांदरी एवं आर.एफ. 258 पी.एफ. 277 वन परिक्षेत्र उत्तर सागर की वनभूमि में से गुजर रहे बहरोल से बण्डा मार्ग की सीमा अंतर्गत कुल लंबाई 2550 मीटर में चौड़ाई 0.50 मीटर की नाली खोदकर ओ.एफ.सी. केबिल डाली जावेगी। मार्ग की सीमा से लगी हुई वनभूमि में कोई भी कार्य नहीं किया जावेगा।
- 3) ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने हेतु खोदी गयी नाली के भराव हेतु वनभूमि से मिट्टी, मुरम, गिट्टी, बोल्टर इत्यादि का उपयोग नहीं किया जावेगा।
- 4) नाली खुदाई हेतु खड़े वृक्षों/पौधों की झाड़ियों/जड़ों को काटा नहीं जावेगा। वृक्षों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी।
- 5) वनभूमि में ओवर वर्डन की डम्पिंग नहीं की जावेगी।
- 6) मार्ग की सीमा में खोदी गयी नाली में केबिल बिछाकर तुरन्त नाली को भरकर समतल किया जावेगा।
- 7) सूर्यास्त पूर्व व पश्चात् वनभूमि अंतर्गत मार्ग की सीमा में कोई कार्य नहीं किया जावेगा।
- 8) नाली खुदाई हेतु ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी।
- 9) कार्य के दौरान वनभूमि में श्रमिक केम्प नहीं लगाये जावेंगे।
- 10) आवेदित वनभूमि रकबा 0.123 हे. की भविष्य में भारत सरकार/म.प्र. शासन वन विभाग द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्थ की राशि वन विभाग को जमा करने के आदेश जारी किये जाते हैं तो प्रचलित दरों के अंतर्गत निर्धारित राशि वन विभाग में जमा की जावे।
- 11) वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर द्वारा रोपित उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य कोई शर्तें रोपित की जाती हैं तो मान्य की जावेगी।
- 12) मार्ग की सीमा में बिछायी गयी ओ.एफ.सी. लाईन की मरम्मत आदि कार्य की अनुमति वन विभाग से ली जाकर कार्य किया जावे।
- 13) मार्ग की सीमा में वन विभाग द्वारा किये गये वृक्षारोपण क्षेत्र को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जावेगा। वृक्षारोपण क्षेत्र से हटकर कार्य किया जावे।
- 14) केम्पा मद के अन्य मद में राशि रुपये 100/- जमा किये जावें, जमा राशि होने का प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत करें।

अतः उपरोक्त रोपित शर्तों के संबंध में शर्तवार पालन प्रतिवेदन एवं आवश्यक वचन-पत्र प्रस्ताव में बेब-पोर्टल पर अपलोड करें, अपलोड किये गये अभिलेख की हार्ड कापी इस कार्यालय में प्रस्तुत की जावे। कृपया यह ध्यान रखें कि औपचारिक स्वीकृति के पूर्व वनभूमि पर कोई कार्य नहीं किया जावेगा।

वन मंडल अधिकारी
उत्तर वन मंडल, सागर

पृ.क्रमांक/मा.चि./2019/ 98

सागर, दिनांक - 8-1-19

प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल को उनके पत्र क्रमांक/2811 दिनांक 12.09.2018 के अनुक्रम में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

- 2) मुख्य वन संरक्षक सागर वन वृत्त सागर को उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./6472 दिनांक 19.11.2018 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3) उप वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर/वन परिक्षेत्र अधिकारी बांदरी/उत्तर सागर को सूचनार्थ। वनभूमि के अंतर्गत ओ.एफ.सी. केबिल डालने हेतु रोपित की गयी शर्तों का पालन मौके पर कराया जाना सुनिश्चित करें तथा अधीनस्थ वन स्टाफ को निगरानी के लिये निर्देशित किया जावे।

वन मंडल अधिकारी
उत्तर वन मंडल, सागर

07/01/19